<u>बिहार सरकार</u>

<u>वित्त (अंकेक्षण) विभाग</u>

<u>भागलपुर प्रमण्डल,भागलपुर</u>

<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 15/10–11</u>

<u>(1) परिचयात्मक :–</u>

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय,सुल्तानगंज (भागलपुर)
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2008–09

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग

(ध) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री

पदाधिकारी का नाम,पदनाम एवं

कार्यकाल – 1. श्री लक्ष्मी प्र0 चौहान ,उप विकास आयुक्त 12.12.06 से 21.10.09 तक

(ड़) अंकेक्षण अवधि के प्रभारी पदाधिकारी

एवं कर्मचारी का नाम,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्री ओम प्रकाश महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –18.5.06 से 23.2.09 तक

2. डॉ0 भवानी शंकर नाथ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – 24.2.09 से 4.4.10 तक

3. श्री संजय कुमार, नाजिर 1.4.08 से 31.3.09 तक

4. श्री ज्योतिन्दर प्रसाद साह, प्रधान लिपिक 1.4.08 से 30.6.09 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी

एवं कर्मचारी का नाम पदनाम – श्री मदन कुमार धोष,नाजिर

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम –1. श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा,वरीय अंकेक्षण–2

2. श्री अशोक कुमार, वरीय अंकेक्षण –2

3. श्री राजीव प्रसाद राय , वरीय अंकेक्षण–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – 20.3.2010

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – 28.4.10

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 25 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत

अभिलेखों की सूची – प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

प्रखण्ड विकास कार्यालय, सुल्तानगंज के लेखा वर्ष 2008–09 का सामान्य अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 16.09.60 में निहित निदेश के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन जिला कोषागार,भागलपुर के कोषागार अभिलेखों से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। परन्तु जमा से सम्बन्धित रू0 32,766 की प्रविष्टि प्राप्ति बैंक स्क्रॉल में नही पाई गई (कंडिका 2 द्रष्टव्य)

इस कार्यालय के लेखा से संबंधित महालेखाकार का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन या वित्त (अंकेक्षण) विभाग का पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जा सका। अतः लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन शीध्र कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार ,पटना को प्रेषित करने की ओर विभागीय उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(ड़) वित्तीय परिशंसा :–

अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि वर्ष 2008–09 की आवंटन एवं व्यय विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर उद्धृत है। इस विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होगा कि व्यय प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत किया गया था। शीर्ष 2053 राजभाषा मद में बचत की राशि के प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका। जिससे ज्ञात नही हो सका कि इस मद की बचत राशि का प्रत्यार्पण किया गया था या नही। अन्य मदों की बचत की राशि का प्रत्यार्पण किया गया था। प्रशासी विभाग द्वारा अप्रत्यार्पित राशि के संबंध में जाँचोपरांत कार्रवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय।

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.01.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण के लिखित एवं अनेक बार मौखिक अनुरोध के बावजूद भी नही किया गया।

अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि वर्ष 2008–09 के रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण रोकड़ (दि0 01. 04.08 का) एवं संवरण रोकड़ (दि0 31.03.09 का) का व्यौरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर उद्धृत है। इसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि व्यय पर नियंत्रण नही रहने के कारण अप्रविष्ट अभिश्रव के रूप में रोकड़ का एक बहुत बड़ा भाग को विचलन कर व्यय किया गया था। इस प्रकार के व्यय पर नियंत्रण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षणाधीन अवधि का प्रारम्भण एवं संवरण शेष की स्थिति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं–

दि0 01.4.08 का प्रारम्भण शेष – रू0 1,29,62,967=00

विवरण बैक में	–	रू0 86,52,966=82
असमायोजित अभिश्रव	–	रू0 26,51,690=02
अस्थायी अग्रिम	–	रू0 16,40,230=27
एकल ताला	–	रू0 18,079=89
		रू0 1,29,62,967=00

दि0 31.3.09 का संवरण शेष – रू0 82,83,273=12

विवरण बैक में	–	रू0 43,68,517=94
असमायोजित अभिश्रव	–	रू0 27,72,688=02
अस्थायी अग्रिम	–	रू0 11,27,463=27
एकल ताला	–	रू0 14,603=89
		रू0 82,83,273=12

अंकेक्षणाधीन वित्तीय वर्ष में इस प्रखण्ड कार्यालय हेतु स्वीकृत ,कार्यरत एवं रिक्त बलों का व्यौरा परिशिष्ट 'ड.' पर दिया गया है। इसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि कार्यरत बल स्वीकृत बल के अधीन था।

भाग –1

(2) रू0 32,766=00 के जमा राशि का बैक स्कॉल में अंकित नही पाया जाना संभावित गबन :–

शीर्ष पंचायत निर्वाचन जमानत के सहायक रोकड़ पुस्त के अन्तर्गत दिनांक 13.5.08 के व्यय पक्ष में अंकित राशि रू0 32,766=00 को कोषागार में जमा दिखाया गया था। रेमिटेंश पंजी में इस रकम के कोषागार में जमा से संबंधित चालान संख्या,कोषागार /बैंक का मुहर आदि का उल्लेख नही पाया गया और न तो स0 रो0 पुस्त के व्यय पक्ष के विवरण में चालान संख्या अथवा जमा शीर्ष का उल्लेख पाया गया।

कोषागार में पंचायत शीर्ष का जमा शीर्ष 0515 की अनुसूची उपलब्ध नही कराई जा सकी। फलतः प्राप्ति का सत्यापन बैंक स्क्रॉल जो जिला अभिलेखागार में (अभिलेख सं0 30256) उपलब्ध था से किया गया। परन्तु बैंक स्क्राल में रकम रू0 32,766=00 की प्रविष्टि नही पाई गई इस प्रकार रू0 32,766.00 का गबन कर लिया गया प्रतीत होता है।

अतः उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि रू0 32,766=00 के कोषागार में जमा होने की सत्यापन अपने स्तर से कराया जाय एवं रकम का गबन कर लिए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को भी अवगत कराया जाय।

(3) रू0 4,140=00 पै0 का रोकड़ पुस्त में अधिक व्यय अंकित,वसूली योग्य :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष 2225 कल्याण छात्रवृति के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों के विधार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम प्रदान की गई थी एवं इससे संबंधित अभिश्रव प्राप्त किया गया था। छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित अभिश्रवों के जाँच एवं संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त से मिलान में पाया गया कि मध्य विद्यालय,बुधैला को छात्रवृत मद में अभिश्रव सं0 461 में कुल 11 विधार्थियों को प्रति विधार्थी रू0 180=00 की दर से रू0 180X11 = रू0 1980.00 का भुगतान किया गया था। जबकि संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के पृष्ठ सं0 11 पर दिनांक 14.2.09 को इस अभिश्रव के व्यय की राशि रू0 1980.00 के विरूद्ध रू0 6120.00 दर्ज किया पाया गया।

इस प्रकार रू0 6120–रू0 1980= रू0 4140.00 रोकड़ पुस्त में अधिक व्यय दर्ज होने के फलस्वरूप रोकड़ संवरण शेष की राशि कम हो गई।

इससे संबंधित आपत्ति निर्गत की गई लेकिन इसका अनुपालन नही किया गया।

अतः रू0 4,140.00 संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाय एवं वित्त(अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को अवगत कराया जाय।

(4) रू0 3,760=00 आम की बिक्री की राशि ,जमा योग्य :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष पंचायत समिति के सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में दिनांक 8.9.08 को नाजिर रसीद सं0 609545 भाग 463/05–06 दि0 8.9.08 द्वारा बगीचा के आम की बिक्री की राशि रू0 3760.00 प्राप्त कर दर्ज किया गया था। लेकिन इस राशि को संबंधित शीर्ष में कोषागार में जमा नही किया पाया गया। इस प्रकार सरकारी राजस्व की राशि को रोकड़ में रखे रहना वित्तीय अनियमितता का धोतक है।

इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः रू0 3760.00 कोषागार में शीध्रता शीध्र जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार,पटना को भी अवगत कराया जाय।

(5) रू0 1,03,559=11 प्राप्ति स्त्रोत को वापसी योग्य :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष रोजगार गारंटी के अन्तर्गत रू0 1,03,559.11 संवरण शेष के रूप में पड़ा हुआ था । यह योजना अब बंद हो जाने के कारण इस शीर्ष के अन्तर्गत भविष्य में व्यय किए जाने की संभावना नही है। निस्प्रयोजन संवरण शेष में पड़ी राशि से सरकार का विकास कार्य बाधित होता है। साथ ही गबन,विचलन आदि वित्तीय अनियमितओं के घटित होने की संभावना से इकार नही किया जा सकता ।

इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः शीध्राता शीध्र उपरोक्त रकम को उनके प्राप्ति स्त्रोत को वापस किया जाय एवं इससे वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(6) रू0 27,72,688=02 का विचलन कर व्यय को समायोजन के सम्बद्ध में :–

अंकेक्षण मे पाया गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त में दि0 1.4.08 को असमायोजित अभिश्रवों की कुल राशि रू0 26,51,690.02 थी, जो बढ़कर दि0 31.3.09 को 27,72,688.02 हो गई थी। स्पष्ट रूप से इस राशि का भुगतान/व्यय दूसरे मदो की राशि का विचलन कर किया गया था, परन्तु खर्च किए गए मदों में आवंटन उपलब्ध नही होने के कारण इन अभिश्रवों को समायोजित नही किया जा सका। योजना मदों की राशियों का विचलन कर ज्यादातर मदों मे व्यय किया गया था। वित्तीय नियमों के अनुसार यह विचलन आपत्ति जनक था एवं इसके लिए उच्चाधिकारी या विभाग की अनुमति आवश्यक थी। निधि का विचलन बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 299 बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 8 एवं 489 एवं बिहार बजट मैनुअल के नियम 107(2) के प्रतिकूल था।

अतः व्यय पर नियंत्रण करने की आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित थी।

इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि विभाग से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर समायोजन की दिशा में उचित कार्रवाई की जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(7) रू0 26,850=00 बीज क्रय एवं वितरण से संबंधित साक्ष्य अप्रस्तुत व्यय ,आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2401 कृषि के अन्तर्गत दि0 5.12.08 को सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में रू0 26,850.00 दर्ज था जिसके विवरण में लिखा पाया गया ''लाल जी साहा'' कृषि केन्द्र भागलपुर से आइसोपोम योजना के अन्तर्गत बीज खरीदकर श्री भास्कर प्र0 मंडल,बी.ए. ओ. के द्वारा वितरण किया गया''।

बीज खरीद से संबंधित संस्थान का अभिश्रव एवं बीज वितरण से संबंधित अभिलेखादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जा सका। फलस्वरूप बीज खरीद की सत्यता,बीज वितरण से सम्बन्धित चयनित किसानों की सूची,चयनित किसानों द्वारा बीज प्राप्ति का प्राप्ति हस्ताक्षर आदि की जाँच अंकेक्षण में नही की जा सकी।

इससे संबंधित निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः बीज खरीद एवं वितरण की सत्यता की जाँच विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा करा ली जाय। तबतक रू0 26,850.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(8) रू0 9,771=00 की स्थिति अस्पष्ट :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष बारहवीं वित्त के अन्तर्गत दि0 30.3.09 को संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त में विभिन्न योजनाओं में की गई रॉयल्टी एवं अन्य मद के लिए की गई कटौती की राशि 13981.00 के लिए चेक सं0 067840 दि0 30.3.09 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक,भागलपुर को रू0 13,981.00 जमा दिया गया था, जिसके विरूद्ध कोषागार द्वारा पारित चालान की रकम जो जमा शीर्ष 853 रॉयल्टी के लिए थी, रू0 4210.00 का समायोजन कर लेने का अनुरोध किया गया था। चालान की रकम रू0 4210.00 कोषागार में जमा पाई गई (चालान सं0 1 दि0 2.4.09) चेक की शेष रकम रू0 (13,981.00–4210.00)= रू0 9771.00 भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर में बची रह गई, जिसके समायोजन का विवरण का उल्लेख नही पाया गया।

इससे संबंधित निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया।

अतः चेक की शेष राशि 9,771=00 का समायोजन किस मद में किया गया कार्यालय द्वारा स्थिति स्पष्ट नही की जा सकी।

(9) रू0 3,500=00 पै0 के क्रीत सामग्री का भंडार पुस्त में प्रविष्टि नही ,आपत्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष 2235 राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्राप्त आकस्मिकता मद के आवंटन के अन्तर्गत अभिश्रव सं0 185/08–09 दि0 6.2.09 को टिंकू इन्डस्ट्रीज, सुल्तानगंज से निम्न सामग्री का क्रय किया गया था–

1. मुविंग कुर्सी – 1 नग – रू0 2000.00
2. टेबुल – 1 नग – रू0 1,500.00

_कुल – 3,500.00

इन सामग्रियों को भंडार पुस्त में प्रविष्ट किया गया नही पाया गया जो बिहार वित्त नियमावली भाग–1 के नियम 132 के प्रतिकूल हैं। सामग्रियों के भंडार पुस्त में प्रविष्टि नही किए जाने से इनके दुर्विनियोग होने की संभावना होती है।

इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन नही लौटाया गया।

इन सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कर सामग्री पाई जाने की स्थिति में भंडार पुस्त में इनकी प्रविष्टि कर ली जाय। अन्यथा की स्थिति में दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई अपेक्षित है।

स्थिति स्पष्ट होने तक रकम रू0 3,500.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(10) रू0 9,72,000=00 पै0 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त ,आपत्तिअन्तर्गत :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष 'न्यायमित्र' के अन्तर्गत कुल 18 पंचायतों में से प्रत्येक पंचायत को 'ग्राम कचहरी न्यायमित्र' को रू0 30,000.00 की दर से तथा 'ग्राम कचहरी सचिव' को रू0 24,000.00 की दर से (वेतन मद में) कुल रू0 54,000.00 की दर से भुगतान चेक द्वारा किया गया था। इस प्रकार कुल राशि रू0 54,000.00X18= रू0 9,72,000.00 का व्यय दिखाया गया था।

पंचायत द्वारा प्राप्त रकमों में से कितनी राशि का वितरण हुआ तथा अवशेष की स्थिति में रकम वापस की गई या नही, साथ ही जिन पद धारकों को रकम भुगतान की गई, उनकी पावती रसीद आदि से संबंधित स्थिति का पता संबंधित अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण नही ज्ञात हो सकी। रकम के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को उपलब्ध नही कराया जा सका। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट 'च' पर दिया गया हैं। इससे संबंधित निर्गत आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया। अतः रकम रू0 9,72,000.00 से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने तक रकम आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

(11) रू0 14,00,680=00 छात्रवृत्ति वितरण की रकम का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त आपत्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण में पाया गया कि शीर्ष 2225 कल्याण छात्रवृति के अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों को भिन्न–भिन्न तिथियों को उनके अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृति की रकम वितरण करने हेतु रू0 14,00680=00 उपलब्ध कराई गई थी जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'छ' संलग्न है। छात्रवृति की रकम वितरण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया जा सका,जिससे इस रकम के व्यय की जाँच

नही की जा सकी। इससे अंकेक्षण को संदेह होता है कि इतनी बड़ी राशि का व्यय किया गया अथवा नही।

इससे संबंधित निर्गत अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन कर नही लौटाया गया। अतः रकम रू0 14,00,680.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कारए जाने तक इसे आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

(12) रू0 11,27,463=27 अस्थायी अग्रिम असमायोजित :–

सामान्य रोकड़ पुस्त के दिनांक 31.3.09 के संवरण शेष के विस्तृत विवरण में अस्थायी अग्रिम के रूप में दिखाई गई राशि की जाँच की गई। सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में दि0 31.3.09 तक असमायोजित अस्थायी अग्रिम रू0 11,27,463=27 पाया गया। अस्थायी अग्रिम से संबंधित विवरण परिशिष्ट 'ज' में उदृत हैं। उल्लेखनीय है कि असमायोजित अग्रिम की राशि लम्बी अवधि से आ रही थी। वर्षो पूर्व अग्रिम प्राप्त करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का इस प्रखण्ड से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया अथवा सेवा निवृत भी हो चुके। ऐसी स्थिति में सरकार की एक बड़ी राशि के नुकसान होने की संभावना है। ऐसा नियम की अवहेलना के कारण होता हैं ।

अतः अग्रिम के सामंजन यथाशीध्र करने की दिशा में ठोस पहल किए जाने एवं सामंजन नही होने की दशा में समायोजन वसूली किए जाने की कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग ,बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

भाग –2

(13) बैंक से प्राप्त सूद को योजना शीर्षवार अंकित नही किया जाना :–

बैंक से प्राप्त सूद की सं0 रो0 पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अंकेक्षणाधीन लेखावधि में प्राप्त ब्याज अंकित नही किया गया। स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाओं से संबंधित बैंक पास बुकों को अद्यतन नही कराया गया, जिसके फलस्वरूप बैंक से प्राप्त ब्याज को सं0 रोकड़ पंजी में दर्ज नही किया जा सका। साथ ही बैंक ब्याज की राशि 17,64,106=19 को योजनावार नही दर्शाया गया था जिससे यह ज्ञात नही सकता है कि किस योजना शीर्ष की जमा रकम पर प्राप्त ब्याज कितना था।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि बैंक पास बुकों को अद्यतन अंकित कर जिस योजना से संबंधित पासबुक पर ब्याज प्राप्त हो, उस ब्याज को उस योजना शीर्ष को दर्शाते हुए अंकित किया जाय।

(14) भंडार पुस्त का भौतिक सत्यापन नही किया जाना :–

भंडार पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भंडार का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार अवश्य किया जान था, लेकिन इसकी अवहेलना की गई।

अतः सुझाव है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाय।

(15) अन्य :–

उच्चाधिकारियों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेख की माँग अंकेक्षण मे की गई, जिसे उपस्थापित नही किया जा सका। अतः इसके संधारण एवं रखरखाव की ओर ध्यान अपेक्षित हैं।

विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमों एवं आदेशों के पत्र,परिपत्रादि से संबंधित एक रक्षी पंजी में रखी जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1) अलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2) संत कुमार भगत व0 अ0 –2

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से संबंधित
प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की विवरणी :–

प्रस्तुत अभिलेख

1. विपत्र पंजी
2. रेमिटेन्स पंजी
3. नाजिर रसीद

4. वेतन भुगतान पंजी– 2515 प्रखण्ड/पचांयत,2053 राजभाषा,2401 कृषि
5. अस्थायी अग्रिम स0 रो0 पुस्त
6. अस्थायी अग्रिम पंजी
7. असमायोजित अभिश्रवों की पंजी
8. आकस्मिकता पंजी
9. सामान्य रोकड़ पुस्त
10. सहायक रोकड़ पुस्त–शीर्ष 2515(क) प्रखण्ड एवं 2515(ख) पंचायत (ग्रा0 वि0 कार्या0),शीर्ष 2401 कृषि,2235 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राज्य) शीर्ष 2235 कल्याण ,2230 श्रम रोजगार,2202 शिक्षा, 2071 पेंशन, 2015 निर्वाचन,2505 एन. आर. ई.पी. 2053 राजभाषा ,2245 सहाय्य,पंचायत समिति,जमानत,बोरिग,वायोगैस,श्रावणी मेला, ट्राइसेम/एस. जी. आर. वाई, इन्दिरा आवास ,20 प्रतिशत विधायक, सुनिश्चित (सम्पूर्ण) ,स्वंत्रता सेनानी,बैंक सूद, जिला योजना, जवाहर रोजगार ,राष्ट्रीय पेंशन, मातृत्व अनुदान, एम. पी. लैण्ड्स,प्रधान मंत्री ग्रामोदय, एकादश, शौचालय,आर्थिक गणना, अपग्रेडेशन, सी. एन. सी. ,पंचायत निर्वाचन,प्रोत्साहन भत्ता, रोजगार गारंटी , बारहवीं वित्त, स्वास्थ्य उपकेन्द्र , बी. आर. पी एफ , मुख्य मंत्री कन्या विवाह ,न्यायमित्र ,अन्त्येष्ठि ।
11. अभिश्रव – आकस्मिकता,2235 स0 सु0 पेंशन (राज्य) ,सुनिश्चित, सी. एन. सी. ,2225 कल्याण छात्रवृति ,स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, इन्दिरा आवास अन्त्येष्ठि ,मु0 क0 विवाह, अनत्येष्ठि ,न्याय मित्र
12. योजना अभिलेख एवं योजना पंजी – एस. सी.एस. वाई, द्वादस वित्त, स्वास्थ्य उप केन्द्र, अपग्रेडेशन
13. गाड़ी लॉग बुक
14. जेनरेटर लॉग बुक
15. स्वतंत्रता सेनानी भुगतान बैंक एक एडवाइस

<u>अप्रस्तुत अभिलेख</u>

1. आर्थिक गणना भुगतान पंजी
2. पी. एम. जी. वाई योजना अभिलेखादि
3. बी. आर. जी. एफ. आकस्मिकता अभिश्रव
4. सुनिश्चित की योजना अभिलेखादि
5. पी. एम. जी. वाई योजना अभिलेखादि
6. सेवा पुस्त

7. गाड़ी इतिहास
8. विभिन्न बैंकों का पासबुक एवं अन्य